NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 08-06-2026

विषय सूची

भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक

सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में विदेशी भागीदारी के विस्तार हेतु सुधार

भारत का कपास मिशन एवं चुनौतियाँ

व्यापार सुगमता: भारत के व्यावसायिक ढाँचे को सुदृढ़ बनाना

संक्षिप्त समाचार

- मानव तस्करी से बचे पीड़ितों के लिए उच्चतम न्यायालय की पीड़ित संरक्षण योजना
- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद
- (EAC-PM)
- पीएम ई-ड्राइव
- पायरोप्रोसेसिंग
- मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया
- उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित
- फूड प्लैनेट पुरस्कार 2026

भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक

सन्दर्भ

- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने **इंडोनेशिया के विदेश मंत्री के साथ भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह-अध्यक्षता** की।

परिचय

- दोनों देशों ने **रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल संपर्कता तथा अवसंरचना के क्षेत्रों में सहयोग** को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
- दोनों देशों ने **क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान** किया, **बहुपक्षीय समन्वय को सुदृढ़** करने तथा भारत-आसियान संबंधों को और गहरा करने पर बल दिया।
- दोनों पक्षों ने **पारस्परिक हितों से जुड़े क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की तथा निकट सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।**

भारत-इंडोनेशिया संबंध : एक संक्षिप्त अवलोकन

1. संबंधों की आधारशिला

- उपनिवेशवाद का साझा अनुभव तथा स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद के समान उद्देश्य भारत और इंडोनेशिया के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों का आधार बने।
- वर्ष 1951 में भारत और इंडोनेशिया ने मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य स्थायी शांति एवं अटूट मित्रता स्थापित करना था।

2. गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भूमिका

- भारत और इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र में एशियाई एवं अफ्रीकी देशों की स्वतंत्र आवाज़ के रूप में कार्य किया।
- इसके परिणामस्वरूप **वर्ष 1955 में बांडुंग सम्मेलन** आयोजित हुआ, जिसने आगे चलकर **वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गठन** का मार्ग प्रशस्त किया।
- भारत और इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, मिस्र तथा घाना के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पाँच संस्थापक नेताओं में शामिल थे।

3. 'लुक ईस्ट' से 'एक्ट ईस्ट' तक

- वर्ष 1991 में भारत की **'लुक ईस्ट नीति'** अपनाने तथा 2014 में इसे **'एक्ट ईस्ट नीति'** में परिवर्तित करने के बाद दोनों देशों के संबंधों में तीव्र प्रगति हुई।

4. व्यापारिक संबंध

- इंडोनेशिया, आसियान क्षेत्र में सिंगापुर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

द्विपक्षीय व्यापार:

- 2005-06 : 4.3 अरब अमेरिकी डॉलर
- 2022-23 : 38.84 अरब अमेरिकी डॉलर
- 2023-24 : 29.40 अरब अमेरिकी डॉलर

5. साझा बहुपक्षीय मंच

- भारत और इंडोनेशिया निम्न प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंचों में सक्रिय भागीदारी करते हैं—ब्रिक्स,जी-20,हिंद महासागर रिम एसोसिएशन,पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। इन मंचों के माध्यम से दोनों देश वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देते हैं।
- वर्ष 2018 में भारत-इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक सामरिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया।
- इसी वर्ष हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत-इंडोनेशिया समुद्री सहयोग हेतु साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया गया।

भारत के लिए इंडोनेशिया का महत्त्व

1. नीतिगत सामंजस्य

- भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' तथा हिंद-प्रशांत महासागर पहल, इंडोनेशिया की 'वैश्विक समुद्री धुरी' (Global Maritime Fulcrum) की अवधारणा के साथ अच्छी तरह मेल खाती हैं।
- यह सामंजस्य निम्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है—
- समुद्री सुरक्षा
- संपर्कता (कनेक्टिविटी)
- व्यापार एवं आर्थिक विकास
- आपदा प्रबंधन
- सतत समुद्री संसाधन प्रबंधन

- दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त, समावेशी, सुरक्षित एवं नियम-आधारित व्यवस्था के समर्थक हैं।

2. सामरिक संतुलन स्थापित करने में भूमिका

- इंडोनेशिया की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति तथा बढ़ता क्षेत्रीय प्रभाव हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व के संतुलन में सहायक हो सकता है।
- इंडोनेशिया, मलक्का जलडमरूमध्य के निकट स्थित है, जो विश्व के सबसे महत्त्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है।
- इंडोनेशिया के साथ मजबूत संबंध भारत को समुद्री सुरक्षा सुदृढ़ करने,नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने,क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने में सहायता करते हैं।

3. समुद्री सुरक्षा

- हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित इंडोनेशिया की रणनीतिक स्थिति उसे क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा एवं स्थिरता के लिए एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण साझेदार बनाती है।
- समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में दोनों देशों की साझा रुचि है।

4. आतंकवाद-रोधी सहयोग

- उग्रवाद, आतंकवाद तथा अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग अत्यंत आवश्यक है।
- खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण तथा सुरक्षा सहयोग के माध्यम से दोनों देश क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं।

5. गहरे सांस्कृतिक संबंध

- भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध अत्यंत प्राचीन हैं।
- हिंदू परंपराओं तथा रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का प्रभाव इंडोनेशिया की संस्कृति में आज भी स्पष्ट दिखाई देता है।
- ये सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों के बीच जन-से-जन संपर्क को सुदृढ़ बनाते हैं।

6. पर्यटन की संभावनाएँ

- साझा सांस्कृतिक विरासत का उपयोग पर्यटन तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।
- धार्मिक, सांस्कृतिक एवं विरासत पर्यटन दोनों देशों के बीच सहयोग का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन सकता है।

चुनौतियाँ

1. व्यापार असंतुलन

- भारत-इंडोनेशिया व्यापार में संतुलन प्रायः इंडोनेशिया के पक्ष में रहता है।
- इसका प्रमुख कारण भारत द्वारा इंडोनेशिया से पाम तेल तथा कोयले का बड़े पैमाने पर आयात है।
- दोनों देश व्यापार के नए क्षेत्रों का विकास कर इस असंतुलन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

2. क्षेत्रीय तनाव

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ तथा चीन का बढ़ता प्रभाव दोनों देशों के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है।
- भारत और इंडोनेशिया को अपनी सामरिक साझेदारी बनाए रखते हुए इन क्षेत्रीय दबावों का संतुलित ढंग से सामना करना पड़ रहा है।

निष्कर्ष

- भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध बहुआयामी, गतिशील और निरंतर विकसित हो रहे हैं।

- ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक निकटता, आर्थिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा तथा क्षेत्रीय स्थिरता के साझा हित इन संबंधों की मजबूत आधारशिला हैं।
- आने वाले वर्षों में दोनों देशों के पास क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास, समुद्री सहयोग तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को और अधिक गहरा करने की व्यापक संभावनाएँ हैं।

स्रोत: MEA

सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में विदेशी भागीदारी बढ़ाने हेतु सुधार

सन्दर्भ

- भारत सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियों **(G-Secs) में निवेश करने वाले विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI)** के लिए कर छूट एवं निवेश संबंधी सुधारों की घोषणा की है।

FIIs और FPIs क्या हैं?

- **विदेशी संस्थागत निवेश (FII),** एफपीआई की एक श्रेणी है, जो विशेष रूप से म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और हेज फंड जैसे विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेश को संदर्भित करती है। ये संस्थाएँ वित्तीय बाज़ारों में संचित (पूल्ड) निधियों का निवेश करती हैं और सामान्यतः निवेश अनुसंधान तथा निर्णय-निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाती हैं।
- **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)** से तात्पर्य विदेशी व्यक्तियों, संस्थागत निवेशकों अथवा निधियों द्वारा शेयरों, बॉण्डों, म्यूचुअल फंडों तथा सरकारी प्रतिभूतियों जैसे वित्तीय साधनों में किए गए निवेश से है। एफपीआई जिन कंपनियों में निवेश करते हैं, उनके प्रबंधन या निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भाग नहीं लेते और सामान्यतः उन्हें निष्क्रिय निवेशक (Passive Investors) माना जाता है।

सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Secs) क्या हैं?

- सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Secs) केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा धन उधार लेने तथा अपने व्यय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी किए जाने वाले व्यापार योग्य ऋण साधन (Debt Instruments) हैं।
- ये सरकार के ऋण दायित्व का प्रतिनिधित्व करती हैं और संप्रभु गारंटी होने के कारण सामान्यतः जोखिम-मुक्त मानी जाती हैं।
- सरकारी प्रतिभूतियों को मुख्यतः निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:
- ट्रेजरी बिल (T-Bills): अल्पकालिक प्रतिभूतियाँ, जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम होती है।
- सरकारी बॉण्ड/दिनांकित प्रतिभूतियाँ : दीर्घकालिक प्रतिभूतियाँ, जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष या उससे अधिक होती है।
- भारत में केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और सरकारी बॉण्ड दोनों जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें राज्य विकास ऋण (SDLs) कहलाने वाली दीर्घकालिक प्रतिभूतियाँ जारी करती हैं।

हाल ही में कौन-से परिवर्तन किए गए हैं?

- नवीनतम सुधार से पहले, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs), जिनमें सेबी-पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPIs) भी शामिल हैं, पर आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 210 के अंतर्गत कर लगाया जाता था।
- सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में निवेश से अर्जित किसी भी आय पर कर देय था। विशेष रूप से: जी-सेक से प्राप्त ब्याज आय पर एफआईआई/एफपीआई के लिए 20% कर लगाया जाता था।
- जी-सेक की बिक्री से प्राप्त अल्पकालिक पूँजीगत लाभ पर लेन-देन की प्रकृति के अनुसार 30% कर लगाया जाता था।
- दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ पर 12.5% कर लगाया जाता था।
- परिणामस्वरूप, जी-सेक को धारण करने या उनके व्यापार से विदेशी निवेशकों द्वारा अर्जित प्रतिफल का एक हिस्सा भारत में कर के रूप में देय होता था।

नई व्यवस्था के अंतर्गत एफपीआई/एफआईआई को निम्नलिखित आय पर कर से छूट प्रदान की जाएगी:

- सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) से अर्जित ब्याज आय; तथा

- सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री, हस्तांतरण, विनिमय अथवा मोचन (Redemption) से उत्पन्न पूँजीगत लाभ।

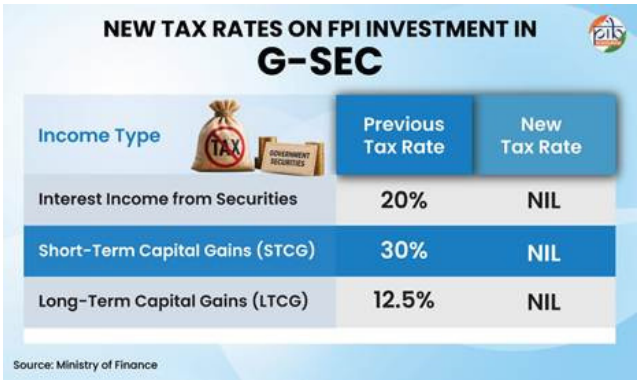

- यह छूट आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद उत्पन्न होने वाली आय पर लागू होगी।

सुधारों का महत्त्व

- **दीर्घकालिक विदेशी पूँजी को आकर्षित करना:** विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन उपायों से अगले दो वर्षों में 45–50 अरब अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त विदेशी निवेश प्रवाह आ सकता है।
- **बॉण्ड बाज़ार को गहराई प्रदान करना:** मई 2026 तक, एफपीआई के पास लगभग ₹ 3.75 लाख करोड़ मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियाँ थीं, जो कुल बकाया जी-सेक का 3.34% था। अधिक भागीदारी से बाज़ार में तरलता, मूल्य निर्धारण (Price Discovery) तथा व्यापारिक गतिविधियों में सुधार हो सकता है।
- **सरकारी उधारी लागत को कम करना:** सरकारी प्रतिभूतियों की मांग बढ़ने से उनकी प्रतिफल दर (Yield) कम हो सकती है और सरकार की उधारी लागत घट सकती है।
- **अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण को समर्थन**: अतिरिक्त पूँजी अवसंरचना, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा शहरी विकास परियोजनाओं को समर्थन प्रदान कर सकती है।
- **बाह्य क्षेत्रीय स्थिरता को सुदृढ़ करना**: अधिक विदेशी निवेश प्रवाह भुगतान संतुलन (BoP) को समर्थन दे सकता है, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत कर सकता है तथा रुपये पर दबाव कम कर सकता है।

संभावित चुनौतियाँ

- **पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह की अस्थिरता**: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के विपरीत, एफपीआई निवेश वैश्विक ब्याज दरों, भू-राजनीतिक तनावों तथा जोखिम संबंधी धारणा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। अमेरिकी ब्याज दरों में वृद्धि या वैश्विक वित्तीय अनिश्चितता भारत सहित उभरते बाज़ारों से अचानक निवेश निकासी को प्रेरित कर सकती है।
- **पूँजी पलायन का जोखिम**: यद्यपि विदेशी भागीदारी में वृद्धि बॉण्ड बाज़ार को गहराई प्रदान कर सकती है, लेकिन अचानक पूँजी निकासी बॉण्ड प्रतिफल दरों तथा विनिमय दरों में तीव्र उतार-चढ़ाव ला सकती है। इससे उधारी लागत बढ़ सकती है तथा रुपये पर दबाव पड़ सकता है।
- **संरचनात्मक समस्याओं पर सीमित प्रभाव**: कर छूट भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों को अधिक आकर्षक बना सकती है, किन्तु यह मुद्रा अस्थिरता, राजकोषीय घाटे अथवा व्यापक निवेशक विश्वास से संबंधित चिंताओं का पूर्ण समाधान नहीं कर सकती।

निष्कर्ष

- ये सुधार भारत के ऋण बाज़ार को गहराई प्रदान करने तथा उसे वैश्विक निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम हैं।
- बाज़ार तक पहुँच को सरल बनाकर, निवेश के अवसरों का विस्तार करके तथा कर प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके सरकार का उद्देश्य स्थिर एवं दीर्घकालिक पूँजी को आकर्षित करना है, साथ ही भारत की वित्तीय प्रणाली की दृढ़ता और दक्षता को सुदृढ़ करना भी है।
- इससे आर्थिक विकास को समर्थन मिल सकता है, बाज़ार विकास में सुधार हो सकता है तथा **भारत का वैश्विक पूँजी बाज़ारों के साथ एकीकरण और अधिक मजबूत हो सकता है।**

स्रोत: PIB

भारत का कपास मिशन एवं चुनौतियाँ

सन्दर्भ

- वर्ष 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **कपास उत्पादकता मिशन (Mission for Cotton Productivity)**

को मंजूरी दी, जिसके लिए ₹5,659 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

- यह मिशन **2026-27 से 2030-31** तक संचालित किया जाएगा।
- the **Mission for Cotton Productivity** with an outlay of Rs 5,659 crore, **to run from 2026-27 to 2030-31.**

परिचय

- कपास उत्पादकता मिशन का उद्देश्य **कपास रेशा (Lint) की उत्पादकता को 2025-26 पर समाप्त त्रिवर्षीय अवधि (TE) में 441 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 2031 तक 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर** करना है।
- विशेषज्ञों का तर्क है कि जब तक **अगली पीढ़ी की आनुवंशिक प्रौद्योगिकियों तथा विज्ञान-आधारित सुधारों** को नहीं अपनाया जाता, तब तक भारत का कपास उत्पादकता मिशन उत्पादकता और निर्यात को पुनर्जीवित करने में कठिनाइयों का सामना कर सकता है।

भारत में बीटी कॉटन की शुरुआत

- वर्ष 2002 में सरकार ने आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (GEAC) की स्वीकृति के बाद बीटी कपास (Bt Cotton) की वाणिज्यिक खेती को मंजूरी प्रदान की।
- बोलवर्म (कपास की इल्ली) समूह के कीटों के प्रतिरोध हेतु cry1Ac जीन युक्त प्रथम बीटी संकर किस्मों को स्वीकृति दी गई थी।
- वर्ष 2006 तक GEAC ने बोलगार्ड-II (Bollgard II) को स्वीकृति प्रदान कर दी, जो दो संयुक्त (Stacked) जीनों वाली दूसरी पीढ़ी की संकर किस्म थी।

बीटी कॉटन

- बीटी कॉटन में मृदा जीवाणु बैसिलस थुरिन्जिएन्सिस (Bt) से प्राप्त दो बाह्य (Alien) जीन होते हैं, जो फसल को ऐसा प्रोटीन विकसित करने में सक्षम बनाते हैं जो सामान्य कीट पिंक बॉलवर्म (Pink Bollworm) के लिए विषैला होता है।
- अब तक भारत में खेती के लिए अनुमति प्राप्त एकमात्र आनुवंशिक रूप से परिवर्तित (GM) फसल बीटी कॉटन ही है।

कपास उत्पादन पर प्रभाव:

- कपास उत्पादन 2002-03 में 13.6 मिलियन गांठ से बढ़कर 2013-14 में 39.8 मिलियन गांठ हो गया, जो 193% की वृद्धि दर्शाता है।
- वार्षिक उत्पादन में 10% की दर से वृद्धि हुई तथा कपास का क्षेत्रफल 7.6 मिलियन हेक्टेयर (mha) से बढ़कर 11.9 मिलियन हेक्टेयर हो गया, अर्थात् 56% की वृद्धि हुई।
- भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक बन गया।

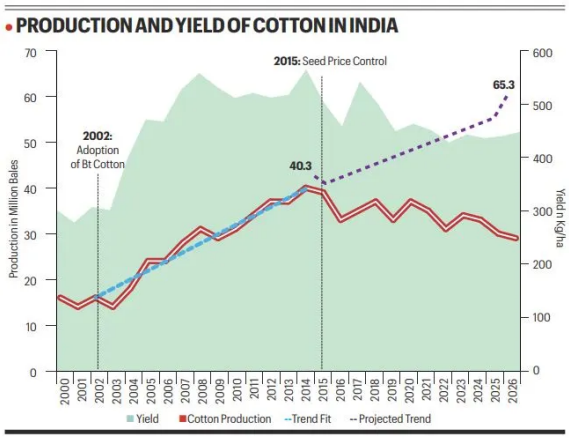

- **आगे की संकर किस्में:** बोलगार्ड-II के बाद भारत ने अगली पीढ़ी की कपास किस्में यथा; बोलगार्ड-II विद राउंडअप रेडी फ्लेक्स तथा बोलगार्ड-III को विकसित किया।
- इन किस्मों में तीन संयुक्त (Stacked) जीन तथा शाकनाशी-सहिष्णु (Herbicide-Tolerant) गुण शामिल थे, जिन्हें कीटों में विकसित हो रहे प्रतिरोध तथा खरपतवार प्रबंधन की बढ़ती लागत से निपटने के लिए तैयार किया गया था। किन्तु इन्हें जारी नहीं किया गया।

कपास उत्पादन में गिरावट के कारण एवं संबंधित चिंताएँ

- **जीएम प्रौद्योगिकी के लिए नियामकीय बाधाएँ:** नियामकीय अनिश्चितताओं तथा स्वीकृति में देरी के कारण नई पीढ़ी की कपास प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण नहीं हो सका।
- **कपास बीजों पर मूल्य नियंत्रण:** सरकार द्वारा बीज मूल्य की सीमा निर्धारित करने तथा प्रौद्योगिकी शुल्क (Trait Fee) में कमी करने से निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार के लिए प्रोत्साहन घट गया।

- **उत्पादकता में गिरावट:** कीटों में प्रतिरोध क्षमता विकसित होने, जलवायु संबंधी दबाव तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों तक सीमित पहुँच के कारण कपास की उत्पादकता स्थिर हो गई है।
- **आयात में वृद्धि:** घरेलू उत्पादन वृद्धि की गति धीमी होने के कारण भारत एक प्रमुख निर्यातक से कपास आयातक देश बन गया है।

आगे की राह

- **जलवायु-अनुकूल कपास किस्मों का विकास:** बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप सूखा-सहिष्णु, कीट-प्रतिरोधी तथा उच्च उत्पादकता वाली कपास किस्मों के विकास हेतु अनुसंधान में निवेश बढ़ाया जाए।
- **सार्वजनिक-निजी अनुसंधान एवं विकास साझेदारी को सुदृढ़ बनाना:** उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रसार में तेजी लाने के लिए अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
- **बीजों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता में सुधार:** सुदृढ़ बीज उत्पादन एवं वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रमाणित एवं उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- **विस्तार सेवाओं को सशक्त बनाना:** कपास किसानों तक वैज्ञानिक ज्ञान, सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों तथा मौसम संबंधी परामर्श की अंतिम छोर तक प्रभावी पहुँच सुनिश्चित की जाए।
- **कपास मूल्य श्रृंखला में सुधार:** कपास की गुणवत्ता तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए जिनिंग, प्रसंस्करण, भंडारण एवं विपणन अवसंरचना का आधुनिकीकरण किया जाए।
- **कपास उत्पादकता मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन:** उत्पादकता एवं आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए परिणाम-आधारित क्रियान्वयन, नियमित निगरानी तथा वर्तमान कृषि योजनाओं के साथ समन्वय पर बल दिया जाए।

निष्कर्ष

- भारत की कपास उत्पादकता को पुनर्स्थापित करने तथा वैश्विक वस्त्र अर्थव्यवस्था में उसकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रौद्योगिकीय नवाचार, सहायक नियामकीय व्यवस्था, जलवायु-अनुकूलन क्षमता तथा कुशल मूल्य श्रृंखलाओं का समन्वित विकास आवश्यक है।

स्रोत: IE

व्यापार सुगमता : भारत के व्यावसायिक ढाँचे को सुदृढ़ बनाना

सन्दर्भ

- भारत ने एक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-संचालित तथा विश्वास-आधारित व्यावसायिक पारितंत्र के निर्माण के लिए व्यापक सुधार किए हैं, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है।

व्यापार सुगमता में भारत की प्रगति

- भारत ने **विश्व बैंक की डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट में वर्ष 2014 में 142वें स्थान से सुधार** करते हुए **2019 में 63वाँ स्थान** प्राप्त किया, जो नियामकीय वातावरण में महत्त्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है।
- भारत की स्थिति **आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग** में **2021 में 43वें स्थान से सुधरकर 2025 में 41वें** स्थान पर पहुँच गई।
- भारत को लगातार **विश्व बैंक के गवटेक परिपक्वता सूचकांक (GovTech Maturity Index) के समूह-A** में स्थान दिया गया है, जो उन्नत डिजिटल शासन क्षमताओं का संकेतक है।
- **संयुक्त राष्ट्र के ई-गवर्नमेंट सर्वेक्षण** ने ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओं, डिजिटल अवसंरचना तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन के क्षेत्र में भारत की प्रगति को मान्यता प्रदान की है।

व्यवसाय प्रारम्भ एवं औपचारिकीकरण में सुधार

- **स्टार्टअप पारितंत्र का विकास:** स्टार्टअप इंडिया पहल ने वित्तीय सहायता, ऊष्मायन (इन्क्यूबेशन) सुविधाओं तथा नियामकीय प्रोत्साहनों के माध्यम से नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया है।

- मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या **2016 में 502 से बढ़कर मार्च 2026 तक 2.23 लाख** से अधिक हो गई।
- **कंपनी पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण:** स्पाइस+ (SPICe+) मंच ने अनेक पंजीकरण प्रक्रियाओं को एकीकृत कर दिया है, जिनमें शामिल हैं—
- स्थायी खाता संख्या (PAN),कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (TAN),वस्तु एवं सेवा कर (GST),कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO),कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), बैंक खाता खोलना।
- इन सभी सेवाओं को अब एक ही ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) का औपचारिकीकरण:**उद्यम पंजीकरण पोर्टल ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए कागजरहित तथा स्व-घोषणा आधारित पंजीकरण को संभव बनाया है।

भूमि एवं संपत्ति प्रशासन में सुधार

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)

- इसके अंतर्गत भूमि अभिलेखों तथा भू-नक्शों (कडास्ट्रल मैप्स) का डिजिटलीकरण किया गया है।
- इससे भूमि संबंधी विवादों में कमी आई है,पारदर्शिता बढ़ी है एवं भूमि प्रशासन अधिक प्रभावी बना है।

विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN):

इसने प्रत्येक भूमि खंड को एक अद्वितीय डिजिटल पहचान प्रदान की है।

इससे भूमि अभिलेखों की शुद्धता बढ़ी है,भूमि प्रबंधन अधिक सटीक हुआ है एवं स्वामित्व एवं लेन-देन संबंधी प्रक्रियाएँ अधिक पारदर्शी बनी हैं।

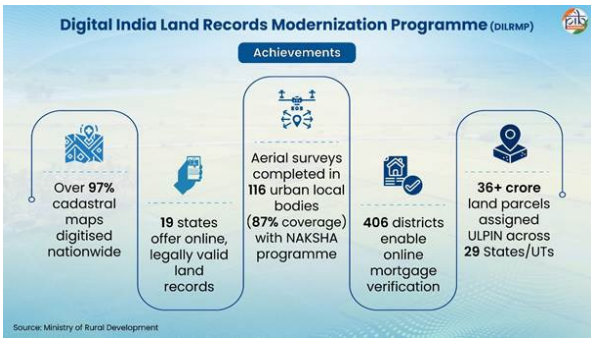

- **राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (NGDRS)** ने संपत्ति लेन-देन की प्रक्रिया को सरल बनाया है। यह संपत्ति एवं दस्तावेज़ पंजीकरण के लिए एक समग्र उपयोगकर्ता अंतरफलक उपलब्ध कराकर व्यापार सुगमता (EoDB) को बढ़ावा देती है।

नियामकीय अनुमोदनों का सरलीकरण

श्रम सुधार

- श्रम संहिताओं (Labour Codes) ने अनेक श्रम कानूनों को एकीकृत कर सरल कानूनी ढाँचे में परिवर्तित किया है।
- एकल पंजीकरण, एकल प्रतिवेदन (रिटर्न) तथा अखिल भारतीय लाइसेंस व्यवस्था ने व्यवसायों के अनुपालन व्यय को कम किया है।

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS)

- राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों से अनुमोदन एवं स्वीकृतियाँ प्राप्त करने हेतु एकीकृत मंच प्रदान करती है।

पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ

- परिवेश (PARIVESH) पोर्टल ने पर्यावरण, वन, वन्यजीव तथा तटीय विनियमन से संबंधित स्वीकृतियों की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया है।

बाज़ार पहुँच एवं लॉजिस्टिक्स में सुधार

सरकारी ई-बाज़ार (GeM)

- सरकारी ई-बाज़ार (GeM) ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों तथा स्वयं सहायता समूहों के लिए सार्वजनिक खरीद में अवसरों का विस्तार किया है।
- इसने पारदर्शी डिजिटल मंच के माध्यम से समावेशी भागीदारी को बढ़ावा दिया है।

डिजिटल वाणिज्य हेतु मुक्त नेटवर्क (ONDC)

- डिजिटल वाणिज्य हेतु मुक्त नेटवर्क (ONDC) ने एक मुक्त एवं परस्पर-संचालित डिजिटल वाणिज्य पारितंत्र विकसित किया है, जिससे छोटे व्यवसाय बड़े ई-वाणिज्य मंचों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

पीएम गतिशक्ति

- पीएम गतिशक्ति ने एकीकृत अवसंरचना नियोजन के माध्यम से बहु-माध्यमीय संपर्कता को सुदृढ़ किया है।

ऋण तक पहुँच को सुगम बनाना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बिना जमानत ऋण उपलब्ध कराकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है।

ऋण मूल्यांकन मॉडल(The Credit Assessment Model)

- ऋण मूल्यांकन मॉडल स्वचालित ऋण मूल्यांकन हेतु डिजिटल वित्तीय आँकड़ों का उपयोग करता है, जिससे ऋण स्वीकृति का समय कम होता है तथा ऋण वितरण में सुधार होता है।

व्यापार प्राप्तियों छूट प्रणाली (TReDS)

- व्यापार प्राप्तियों छूट प्रणाली (TReDS) ने कॉर्पोरेट खरीदारों तथा सरकारी संस्थाओं से भुगतान की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित कर एमएसएमई की तरलता में सुधार किया है।

कर सुधार एवं अनुपालन का सरलीकरण

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

- जीएसटी ने अनेक अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एकीकृत कर संरचना स्थापित कर राष्ट्रीय स्तर पर एक समान बाज़ार का निर्माण किया है।
- इससे करों के बहुस्तरीय प्रभाव (Tax Cascading) में कमी आई है एवं पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय व्यापार को सुगम हुआ है।

ई-वे बिल प्रणाली

- ई-वे बिल प्रणाली ने अनेक अनुमति-पत्रों के स्थान पर एकल इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ की व्यवस्था कर राज्यों के बीच वस्तुओं की आवाजाही को सरल बनाया है।

सीमा-पार व्यापार को प्रोत्साहन

निर्यात केंद्र के रूप में जिले (DEH)

निर्यात केंद्र के रूप में जिले (DEH) पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर निर्यात, विनिर्माण तथा रोजगार को बढ़ावा देना है।

भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक प्रवेशद्वार (ICEGATE)

ICEGATE भारतीय सीमा शुल्क और व्यापारिक समुदाय के बीच सभी इलेक्ट्रॉनिक संपर्कों का केंद्रीकृत मंच है।यह ई-फाइलिंग,ऑनलाइन संशोधन प्रस्तुतिकरण,ऑनलाइन शुल्क भुगतान तथा प्रश्नों के समाधान जैसी सेवाएँ प्रदान करता है।

ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफ़ॉर्म

ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफ़ॉर्म सभी निर्यातकों, विशेषकर एमएसएमई, को अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी व्यापक जानकारी एवं सेवाएँ उपलब्ध कराता है, जिससे उन्हें वैश्विक बाज़ारों तक आसान पहुँच मिलती है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विस्तार

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)

- यूपीआई (UPI) ने त्वरित, सुरक्षित और कम लागत वाले लेन-देन को संभव बनाकर डिजिटल भुगतान व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है।

एंटिटी लॉकर (EntityLocker)

- एंटिटी लॉकर संस्थाओं के लिए एक डिजिटल लॉकर है, जो डिजिटल दस्तावेज़ों एवं प्रमाणपत्रों के सुरक्षित भंडारण, साझाकरण और सत्यापन हेतु सुरक्षित क्लाउड-आधारित मंच उपलब्ध कराता है।

विश्वास-आधारित शासन व्यवस्था का निर्माण

- जन विश्वास सुधारों के अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित सैकड़ों लघु अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है।
- इन सुधारों ने प्रक्रियागत उल्लंघनों के लिए आपराधिक अभियोजन के भय को कम किया है तथा स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित किया है।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016

- दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ने दिवाला समाधान के लिए समयबद्ध ढाँचा स्थापित किया। बाद के संशोधनों ने प्रक्रियागत दक्षता में सुधार किया, ऋणदाताओं के अधिकारों को मजबूत बनाया तथा निवेशकों के विश्वास को बढ़ाया।

चुनौतियाँ

- **भूमि अधिग्रहण और संविदा प्रवर्तन** अभी भी विवादों, प्रक्रियागत जटिलताओं तथा न्यायिक लंबित मामलों के कारण विलंब का सामना करते हैं।
- **सुधारों का क्रियान्वयन राज्यों एवं जिलों में समान नहीं है**, जिससे व्यावसायिक वातावरण में असमानता बनी रहती है।
- प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में **लॉजिस्टिक्स लागत अभी भी अपेक्षाकृत अधिक** है, जिससे औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।
- **एमएसएमई अब भी वित्त, प्रौद्योगिकी, कुशल मानव संसाधन तथा वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच संबंधी बाधाओं का सामना कर रहे हैं।**
- दिवाला एवं नियामकीय ढाँचे में सुधार के बावजूद वाणिज्यिक विवादों का समाधान अभी भी समय-साध्य है।
- **वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएँ एवं आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान निवेश और व्यापार वृद्धि के लिए जोखिम** उत्पन्न करते रहते हैं।

आगे की राह

- बहु-माध्यमीय संपर्कता का विस्तार, भंडारण अवसंरचना में सुधार तथा अंतिम छोर तक संपर्कता को मजबूत कर **लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जाए।**
- वित्त तक आसान पहुँच, प्रौद्योगिकी अपनाने, कौशल विकास तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण के माध्यम से **एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई जाए।**
- **भूमि एवं न्यायिक सुधारों में तेजी लाकर** भूमि अधिग्रहण, संविदा प्रवर्तन तथा वाणिज्यिक विवादों के समाधान को अधिक प्रभावी बनाया जाए।
- उत्पादकता बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने तथा भारत को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने हेतु **नवाचार एवं डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा** दिया जाए।

स्रोत: PIB

संक्षिप्त समाचार

मानव तस्करी से बचे पीड़ितों के लिए उच्चतम न्यायालय की पीड़ित संरक्षण योजना

सन्दर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने प्रज्वला बनाम भारत संघ मामले में वाणिज्यिक एवं यौन शोषण (CSE) हेतु मानव तस्करी से बचे पीड़ितों के लिए एक व्यापक पीड़ित संरक्षण योजना तैयार की।
- न्यायालय ने यह कदम विधायी रिक्तता (Legislative Vacuum) तथा अपर्याप्त पुनर्वास व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उठाया।

पीड़ित संरक्षण योजना के प्रमुख तत्व

1. पुनर्वास का मौलिक अधिकार

- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुनर्वास का अधिकार, अनुच्छेद 21 (गरिमामय जीवन का अधिकार) तथा अनुच्छेद 23 का अभिन्न अंग है।
- न्यायालय ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ तथा नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल बचाव (Rescue) पर्याप्त नहीं है; पुनर्वास न्याय का अनिवार्य हिस्सा है।

2. सहमति-आधारित दृष्टिकोण

- न्यायालय ने बलपूर्वक तस्करी के शिकार व्यक्तियों और सहमति से यौन कार्य करने वाले वयस्कों के बीच स्पष्ट अंतर किया।
- न्यायालय ने कहा कि सहमति से यौन कार्य करने वाले वयस्कों को उनकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में नहीं रखा जा सकता और न ही उनका जबरन पुनर्वास किया जा सकता है।

3. संस्थागत समन्वय

- इस निर्णय में किशोर न्याय अधिनियम तथा पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों को एक समान प्रोटोकॉल में समाहित किया गया है।

इससे निम्न संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होने की अपेक्षा है—

- बाल कल्याण समितियाँ (CWCs)
- मानव तस्करी निरोधक इकाइयाँ (AHTUs)
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSAs)

4. संस्थागत सहायता अवसंरचना

केंद्र एवं राज्य सरकारों को निम्न सुविधाओं की मानकीकृत व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश दिया गया है—

- सुरक्षित आश्रय गृह (Safehouses),
- निःशुल्क विधिक सहायता,
- चिकित्सीय एवं मनोवैज्ञानिक देखभाल सुविधाएँ,
- व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- इसका उद्देश्य पीड़ितों के सामाजिक पुनर्वास और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करना है।

स्रोत : IE

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री की **आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)** की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सदस्यों ने अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने और उसे तेज़ करने के उपायों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)

- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) एक स्वतंत्र निकाय है, जिसका गठन प्रधानमंत्री को आर्थिक एवं संबंधित विषयों पर परामर्श देने के लिए किया गया है।
- वर्तमान में इसकी अध्यक्षता एस. महेंद्र देव कर रहे हैं।
- **संरचना:**वर्तमान में EAC-PM में एक अध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य तथा 11 अंशकालिक सदस्य हैं।
- **कार्य**:प्रधानमंत्री द्वारा संदर्भित किसी भी आर्थिक अथवा अन्य विषय का विश्लेषण करना और उस पर परामर्श देना।
- व्यापक आर्थिक (Macroeconomic) महत्त्व के मुद्दों पर सुझाव प्रदान करना।

परिषद निम्न प्रकार से विषयों पर विचार कर सकती है:

- स्वप्रेरणा (Suo Motu) से, अथवा
- प्रधानमंत्री या किसी अन्य स्रोत द्वारा संदर्भित विषयों पर।
- समय-समय पर प्रधानमंत्री द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निर्वहन करना।

स्रोत: PIB

पीएम ई-ड्राइव

सन्दर्भ

- दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ बनाने तथा सतत शहरी गतिशीलता की दिशा में संक्रमण को तेज़ करने के लिए **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना** के अंतर्गत **2,800** नई निम्न-फर्श (Low-Floor) विद्युत बसों को शामिल करने की घोषणा की है।

परिचय

पीएम ई-ड्राइव योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 में विद्युत गतिशीलता (Electric Mobility) को बढ़ावा देने हेतु प्रारम्भ की गई थी।

इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय ₹10,900 करोड़ है।

- **अवधि:**प्रारम्भ में यह योजना दो वर्षों (2024–26) के लिए स्वीकृत की गई थी।
- अब इसकी अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया है, जबकि कुल परिव्यय यथावत रखा गया है।

उद्देश्य

- देशभर में विद्युत वाहनों (EVs) को अपनाने की गति को बढ़ाना।
- सुदृढ़ ईवी चार्जिंग अवसंरचना का विकास करना।
- घरेलू विद्युत वाहन विनिर्माण पारितंत्र को मजबूत बनाना।
- जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना तथा वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को घटाना।

- चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) के माध्यम से मेक इन इंडिया पहल को प्रोत्साहित करना।

प्रमुख विशेषताएँ

यह योजना 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नौ प्रमुख शहरों में 14,028 विद्युत बसों की खरीद को समर्थन प्रदान करती है।

योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को अधिक स्वच्छ, ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण-अनुकूल बनाना है।

स्रोत : IE

पायरोप्रोसेसिंग(Pyroprocessing)

सन्दर्भ

- पायरोप्रोसेसिंग पर जापान, दक्षिण कोरिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन किया गया है तथा इसे उन्नत तीव्र प्रजनक रिएक्टर (Fast Reactor) कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में भी खोजा जा रहा है।

पायरोप्रोसेसिंग क्या है?

- पायरोप्रोसेसिंग एक उच्च-तापमान प्रक्रिया है, जिसका उपयोग पदार्थों में भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
- यह एक शुष्क (Dry) तथा ऊर्जा-गहन (Energy-Intensive) प्रक्रिया है, जिसका व्यापक उपयोग सीमेंट निर्माण, धातुकर्म तथा नाभिकीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में किया जाता है।

पायरोप्रोसेसिंग के अनुप्रयोग

सीमेंट उद्योग

- इसका उपयोग चूना पत्थर तथा अन्य कच्चे पदार्थों को क्लिंकर में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है।
- क्लिंकर सीमेंट निर्माण का प्रमुख घटक होता है।

धातुकर्म

- अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रक्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे—भर्जन (Roasting),प्रगलन (Smelting),उष्मीय अपघटन (Calcination)।

नाभिकीय क्षेत्र

- प्रयुक्त (Spent) नाभिकीय ईंधन के पुनर्प्रसंस्करण में इसका उपयोग किया जाता है।
- इस प्रक्रिया में पिघले हुए लवणों (Molten Salts) में विद्युत-रासायनिक पृथक्करण द्वारा उपयोगी पदार्थों को पुनः प्राप्त किया जाता है।
- इससे मूल्यवान नाभिकीय पदार्थों की पुनर्प्राप्ति एवं पुनः उपयोग संभव हो पाता है।

स्रोत : TH

मेजर अभिलाषा बराक संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री ने **मेजर अभिलाषा बराक** को **यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ दी ईयर** से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी।

परिचय

- **मेजर अभिलाषा बराक** वर्तमान में **संयुक्त राष्ट्र के लेबनान मिशन** में कार्यरत हैं।
- उन्हें पश्चिम एशियाई देश लेबनान में अपनी तैनाती के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ किए गए जनसंपर्क एवं सशक्तीकरण प्रयासों के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है।
- वे भारतीय सेना की पहली महिला युद्धक हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं।
- प्रत्येक वर्ष इस पुरस्कार के लिए उम्मीदवारों का चयन विभिन्न शांति अभियानों के बल कमांडरों तथा मिशन प्रमुखों द्वारा नामित व्यक्तियों में से किया जाता है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों एवं पुलिस बलों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में से एक है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन ऐसे अभियान हैं जिन्हें संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैनात किया जाता है।
- पहला शांति स्थापना मिशन 1948 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य इज़राइल और उसके अरब पड़ोसी देशों के बीच युद्धविराम की निगरानी करना था।

- इसका गठन तथा दायित्व निर्धारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा किया गया था।
- यह सामूहिक सुरsक्षा का एक महत्त्वपूर्ण साधन है तथा इसका उद्देश्य संघर्षों की रोकथाम,नागरिकों की सुरक्षा,राजनीतिक प्रक्रियाओं को समर्थन तथा देशों को संघर्ष से शांति की ओर संक्रमण में सहायता प्रदान करना है।

प्रमुख संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन

- **MINUSTAH (हैती):** हैती में राजनीतिक स्थिरीकरण, सुरक्षा तथा मानवीय सहायता के लिए कार्य किया (2004–2017)।
- **UNMISET (पूर्वी तिमोर):** पूर्वी तिमोर में स्थिरता, सुशासन तथा सुरक्षा को समर्थन प्रदान किया (2002–2005)।
- **UNMIL (लाइबेरिया):** लाइबेरिया में शांति निर्माण, निरस्त्रीकरण तथा संघर्षोत्तर पुनर्प्राप्ति में सहायता की (2003–2018)।
- **MINURCAT (मध्य अफ्रीकी गणराज्य एवं चाड):** नागरिकों की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित रहा (2007–2010)।
- **UNMOGIP (भारत–पाकिस्तान):** जम्मू-कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम की स्थिति की निगरानी करता है (1949 से)।

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बलों को वर्ष 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के सिद्धांत

- **पक्षकारों की सहमति (Consent of the Parties):** शांति स्थापना अभियानों के प्रभावी संचालन के लिए प्रमुख संघर्षरत पक्षों की स्वीकृति आवश्यक होती है।
- **निष्पक्षता (Impartiality):** शांति सैनिकों को सभी पक्षों के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए।
- **आत्मरक्षा एवं अधिदेश की रक्षा को छोड़कर बल का प्रयोग नहीं :** बल का प्रयोग केवल आत्मरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा तथा मिशन के अधिदेश को लागू करने के लिए किया जा सकता है।

स्रोत : TH

उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित

सन्दर्भ

- केंद्र सरकार ने वैधानिक मापविज्ञान (Legal Metrology) ढाँचे के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार लागू किए हैं, जिससे बाज़ार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता लाई जा सके।

परिचय

- **संशोधित नियमों के अंतर्गत** प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं, जिनमें पाम तेल, पामोलीन तेल, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों तेल, मूंगफली तेल, तिल तेल, चावल की भूसी का तेल, कपास बीज तेल तथा मक्का तेल शामिल हैं।
- **स्वीकृत पैक आकार** 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम हैं।
- **इस पहल का उद्देश्य** बाज़ार में विभिन्न प्रकार के पैकेट आकारों की बढ़ती संख्या की समस्या का समाधान करना है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना करना तथा सूचित खरीद निर्णय लेना कठिन हो जाता है।
- **महत्व:**
  - इससे उपभोक्ताओं को अधिक सूचित और पारदर्शी खरीद निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
  - यह पहल खाद्य तेल उद्योग को भी लाभ पहुँचाएगी क्योंकि इससे पैकेजिंग प्रथाओं में अधिक एकरूपता आएगी।

वैधानिक मापविज्ञान (Legal Metrology)

- वैधानिक मापविज्ञान मापन तथा मापन उपकरणों पर कानूनी आवश्यकताओं के अनुप्रयोग को कहा जाता है।
- वैधानिक मापविज्ञान का उद्देश्य भार एवं माप की सुरक्षा तथा शुद्धता के दृष्टिकोण से जनता को विश्वसनीय आश्वासन प्रदान करना है।

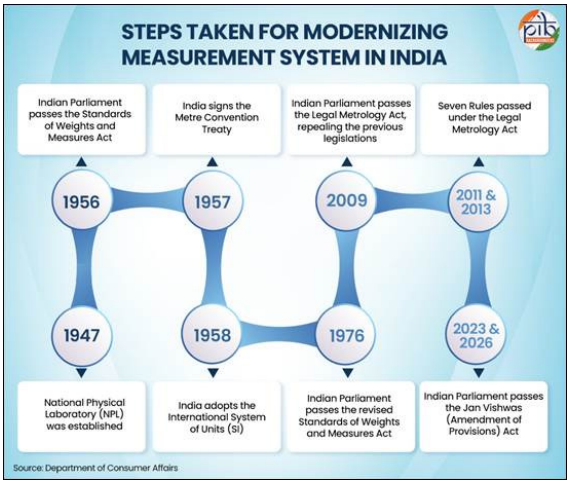

- भारत वर्ष 1956 में अंतरराष्ट्रीय वैधानिक मापविज्ञान संगठन (OIML) का सदस्य बना।
- वर्ष 2023 में भारत विश्व का 13वाँ देश बना जिसे भार एवं मापन उपकरणों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य OIML अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ।
- इस मान्यता से भारतीय निर्माताओं को अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय परीक्षण लागत के बिना अपने उपकरणों का विश्वभर में निर्यात करने में सुविधा मिलेगी।
- साथ ही, इससे वैश्विक व्यापार, मानक निर्धारण तथा वैधानिक मापविज्ञान शासन में भारत की भूमिका और अधिक सुदृढ़ होगी।

स्रोत: AIR

फूड प्लैनेट पुरस्कार 2026

सन्दर्भ

- आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती (APCNF) कार्यक्रम ने फूड प्लैनेट पुरस्कार 2026 जीता है।

परिचय

- फूड प्लैनेट पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2019 में कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन द्वारा की गई थी।
- इसे वैश्विक खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन लाने के लिए समर्पित विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरणीय पुरस्कार माना जाता है।
- इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹14 करोड़) की राशि प्रदान की जाती है।
- APCNF का चयन इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय पहल है।

APCNF कार्यक्रम

- इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2016 में रैयतु साधिकारा संस्था (RySS) के माध्यम से की गई थी।
- यह कार्यक्रम रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर निर्भरता कम करके प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देता है।
- वर्तमान में यह कार्यक्रम 8,000 से अधिक गाँवों तथा लगभग 18 लाख किसान परिवारों तक पहुँच चुका है, जिससे यह विश्व की सबसे बड़ी सामुदायिक-नेतृत्व वाली कृषि-पारिस्थितिकी (Agroecology) पहलों में से एक बन गया है।
- यह कार्यक्रम महिला स्वयं सहायता समूहों तथा 10,000 से अधिक सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है, जिससे किसानों को खेती की लागत कम करने तथा आय बढ़ाने में सहायता मिलती है।
- आंध्र प्रदेश के इस मॉडल का अध्ययन एवं अनुकरण अब भारत के कई राज्यों के साथ-साथ श्रीलंका और जाम्बिया जैसे देशों में भी किया जा रहा है।

स्रोत: TH

■■■■